न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2021

अपीलान्टस	रेस्पोडेण्टस
1. बगदाराम पुत्र तलकाजी 2. नफाबेन पुत्री तलकाजी जातियान मेघवंशी (मेघवाल) निवासीयान रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. ग्राम पंचायत धामसीन, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धामसीन तहसील रानीवाडा 2. ग्राम पंचायत बामनवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बामनवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 313 दिनांक 21.02.2015

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित व श्रवणसिंह देवड़ा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 10.08.2021

अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 313 दिनांक 21.02.2015 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्टस के पिता तलका वल्द पीथा कौम मेघवाल साकिन रूपावटी कलां फौत हो चुके हैं तथा उक्त तलका वल्द पीथा के वारीसान अपीलाण्टस बगदाराम व नफाबेन हैं। उक्त तलका वल्द पीथा के फौत होने पर फौतेदगी बाबत म्युटेशन संख्या 313 ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा दिनांक 21.02.2015 को स्वीकृत किया गया। कालान्तर में पंचायतों के पुर्नगठन होने पर ग्राम पंचायत धामसीन से नवीन ग्राम पंचायत बामनवाडा का सृजन किया गया तथा ग्राम पंचायत धामसीन में स्थित ग्राम रूपावटी कलां को ग्राम पंचायत बामनवाडा में शामिल किया गया। इसलिये तलका वल्द पीथा की फौतेदगी पर ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा म्युटेशन संख्या 313 स्वीकृत करने से तथा वर्तमान में उक्त म्युटेशन संख्या 313 ग्राम पंचायत बामनवाडा के ग्रम रूपावटी कलां सं संबंधित होने से ग्राम पंचायत धामसीन व ग्राम पंचायत बामनवाडा को बतौर रेस्पोडेण्टस प्रकरण हाजा में संयोजित किया गया है। उक्त म्युटेशन संख्या 313 जो तलका वल्द पीथा कौम मेघवाल साकिन रूपावटी कलां के फौत होने पर ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा उक्त तलका के वारीसान अपीलाण्टस के पक्ष में स्वीकृत किया गया, परन्तु अपीलाण्टस की वल्दीयत बगदा वल्द तलका, नफाबेन पुत्र तलका दर्ज नही कर अपीलाण्टस के पीठ पिछे उक्त म्युटेशन संख्या 313 में अपीलाण्टस की वल्दीयत बगदा वल्द पीथा व नफाबेन पुत्र पीथा गलत दर्ज किया गया। जिससे आहत होकर यह म्युटेशन अपील निम्न आधारों पर पेश कि जा रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त म्युटेशन संख्या 313 के जरिये अपीलाण्टस की वल्दीयत बगदा वल्द तलका व नफाबेन पुत्र तलका दर्ज नही कर ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा भारी तथ्यात्मक एवं वाक्याति भूल की हैं। उक्त म्युटेशन को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इसलिये उक्त म्युटेशन संख्या 313 को स्वीकृत करने की कार्यवाही प्राकृतिक सिद्वान्त के विरूद्व होने से काबिल खारीज हैं।

अपीलाण्टस दिनांक 18.01.2021 को अपनी खातेदारी आराजी के राजस्व रेकर्ड की नकल बैक से ऋण लेने हेतु गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपका नाम खातेदारी में बगदाराम वल्द पीथा व नफाबेन पुत्री पीथा दर्ज है। तथा हमारे पिता का नाम तलकाजी है व पीथाजी हमारे दादा है। हमने उक्त म्युटेशन की नकल हासिल की तो हमकों प्रथम बार जानकारी हुई कि म्युटेशन संख्या 313 के जरिये हम अपीलाण्टस की वल्दीयत गलत दर्ज की गई हैं। इसलिये उक्त म्युटेशन संख्या 313 की जानकारी से अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद पेश हैं। फिर भी यदि अपीलाण्टस की अपील को अंदर म्याद शुमार नहीं किया जाये तो विकल्प में निवेदन है कि अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अनपढ व्यक्ति हैं तथा अपीलाण्टस के पिता तलका वल्द पीथा फौत होने पर अपीलाण्टस के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन की जानकारी अपीलाण्टस को नहीं हुई तथा उक्त म्युटेशन अपीलाण्टस की पीठ पिछे स्वीकृत किया गया एवं अपीलाण्टस की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाकर अपीलाण्टस के पिता तलका वल्द पीथा की फौतेदगी पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 313 को अपास्त कर अपीलाण्टस के नाम सही वल्दीयत लगाकर म्युटेशन स्वीकृत करने हेतु आदेश दिया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं। अपीलाण्टस द्वारा अपील को पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपीलाण्टस की अपील को अंदर म्याद शुमार करने हेतु अलग से धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत धामसीन के आदेश दिनांक 21.02.2015 जिसके जरिये ग्राम रूपावटी कलां के म्युटेशन संख्या 313 जो तलका वल्द पीथा कौम मेघवाल साकिन रूपावटी कलां की फौतेदगी पर स्वीकृत किया गया, को अपास्त कर मौजा रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 97, 98, 145, 146, 147, 39 रकबा क्रमश 2. 22, 0.70, 0.85, 0.10, 0.24, 3.38 हेक्टेयर आराजी की खातेदारी में अपीलाण्टस के नाम सही वल्दीयत दर्ज कर अर्थात बगदाराम पुत्र तलकाजी, नफाबेन पुत्री तलकाजी दर्ज कर उक्त तलका की फौतेदगी बाबत म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

अपीलाण्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। बाद तामिल समन रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी म्युटेशन में अपीलाण्टस के नाम सही वल्दीयत के इन्द्राज से संबंधित है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को बैंक स़े ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर दिनांक 18.01.2021 को हुई। अपीलाण्टस ग्रामीण परिवेश मे रहने वाले अनपढ व्यक्ति है। ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा ना0 क0 संख्या 313 स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के विपरीत होने से अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा म्युटेशन संख्या 313 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन किया, उक्त म्युटेशन में तलका फौत होने पर उनके जायज उतराधिकारियों के नाम नामान्तरणकरण खोला गया है। जिसमें निम्नानुसार उल्लेखित है।

'' नामातरणकरण संख्या 313 में खसरा नम्बर 97, 98, 145, 146, 147, 39 में तलका वल्द पीथा के स्थान पर बदगाराम वल्द पीथा, नफाबेन पुत्री पीथा दर्ज किया गया है। उक्त म्युटेशन दिनांक 21.02.2015 को सरपंच ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा स्वीकृत किया गया है। ''

उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जो तलका की वल्दीयत के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 313 में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि का होने से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत धामसीन द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 313 स्वीकृत दिनांक 21.02. 2015 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य धोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्य 313 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस के पिता तलका के जायज वल्दीयत वारीसान की जांच कर तलका का फौतदगी नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested